प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.07.2025

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण, लूट की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस, 01 अवैध पिस्टल 32 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 02 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट व लूट के 850/- रूपये, मोबाइल फोन व काले रंग का बैग बरामद।

आज दिनांक 13.07.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम व स्वाट टीम ग्रामीण जोन द्वारा संयुक्त रूप से घटनाओं के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान कोडिया वाला मन्दिर के पास चेकिंग टीम द्वारा 03 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को चेकिंग हेतु रूकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार बदमाशो द्वारा मोटरसाइकिल को और तेज भगाते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी तथा भटजन की तरफ भागने लगे। भागते हुए कुछ दूर आगे ही बदमाशों की मोटरसाइकिल गड्ढे में फंस कर गिर गई। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में 03 बदमाशों में से 02 बदमाशो के पैर में गोली लग गई जिससे वे घायल हो गये तथा 01 अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाशो के नाम 1. विकास पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम शाहजाहपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद 2. संदीप उर्फ नन्दू पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम शाहजाहपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद है। घायल बदमाशों को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। फरार बदमाश को काबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है जिसके द्वारा अपना नाम आकाश पुत्र देवी सिह निवासी ग्राम शाहजहाँपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद बताया तथा अभियुक्त सोनू पुत्र शान्ती निवासी ग्राम शाहजहाँपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद को मौके से गिरफ्तार किया गया था। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की गई तो बदमाशों द्वारा बताया गया कि हम लोगों पर कर्ज का पैसा ज्यादा हो गया था हम लोगों में से सोनू पुत्र शान्ती के घर का गैस का कनेक्शन सीकरी खुर्द इण्डेन गैस एजेन्सी तलहैटा भोजपुर में है। कुछ दिन पहले सोनू गैस एजेन्सी पर गया था तब उसने सेल्स मैन श्रीओम के बैग में काफी रुपये देखे थे यह बात सोनू ने आकर हम लोगों को बतायी तभी से हम लोग गैस एजेन्सी पर लूट की प्लानिंग बना रहे थे। दिनांक 12.07.2025 को आकाश ने लूट करने से पहले एजेन्सी पर जाकर रेकी की थी तथा दोपहर के समय वापस आकर बताया कि एजेन्सी पर कोई नही है तब हमने एक साथ मिलकर सीकरी खुर्द इण्डेन गैस गौदाम में हथियारों के बल पर सेल्समैन को डराने

के लिए फायरिंग करते हुए लूट की घटना कारित की थी। जिसमें हमने एक मोबाइल फोन व नगदी का बैग लूटा था। घटना करने के बाद भागते समय हमारा एक साथी पकडा गया था जो आपके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिनांक 12.07.2025 की घटना के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0 178/25 धारा 309(4)बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है। उपरोक्त मुकदमे में वादी मुकदमा द्वारा लूटी गई धनराशि 50700 रुपये अंकित की गयी है जिस सम्बन्ध में सेल्समैन श्रीओम पुत्र पीतम नि0 ग्राम तलहैटा थाना भोजपुर गाजियाबाद से पूछताछ की गयी तो सेल्समैन ने बताया कि दि0 12.07.2025 को कुल 60 गैस सिलेण्डर विक्री किये थे जो 50700 रुपये के हुए थे सेल्समैन द्वारा जिसकी रशीदें भी दिखाई गयी परन्तु गैस एजेन्सी पर लगे कैमरों की डीवीआर का अवलोकन किया गया तो दि0 12.07.25 को दोपहर 02 बजकर 16 मिनट पर कुल 18 सिलेण्डरों की बिक्री हुई थी सेल्समैन श्रीओम उपरोक्त से पुनः सारी बात बताकर पूछताछ की गयी तो बताया कि दि0 11.07.2025 व दि0 12.07.2025 की सुबह 11.30 बजे तक की सिलेण्डर बिक्री का रुपया मैनेजर हैड आफिस में जमा करने के लिए ले गया था उसके बाद केवल एक सिलेण्डर 850 रुपये का कैश में गया ।मैने अपने साथी तथा मौके पर मौजूद ग्राम वासियों के कहने पर 50700 रुपये बैग मे होना बताया था जिससे कि पुलिस मेरे मुकदमे में जल्दी कार्यवाही करे।जबकि बैग में कुल 850 रुपये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. विकास पुत्र श्रीचन्द नि0 ग्राम शाहजहाँपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद।(मुठभेड के दौरान)
2. संदीप उर्फ नन्दू पुत्र शीशपाल नि0 ग्राम शाहजहाँपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद।(मुठभेड के दौरान)
3. आकाश पुत्र देवी सिह नि0 ग्राम शाहजहाँपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद।
4. सोनू पुत्र शान्ती नि0 ग्राम शाहजहाँपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस व लूट से सम्बन्धित 850 रूपये व 01 मोबाइल फोन, एक काले रंग का बैग।
2. 01 अदद पिस्टल 32 बोर व एक जिन्दा कारतूस 32 बोर
3. 02 अदद मोटरसाईकल बिना नम्बर प्लेट।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना भोजपुर पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है ।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम व स्वाट टीम ग्रामीण जोन।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा घरों में चोरी की घटना कारित करने वाले बाबरिया गैंग के 02 अभियुक्तगण घायल अवस्था में गिरफ्तार,कब्जे से 02 अवैध तमंचा, 02 खोखा, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद तथा 01 अभियुक्त भागने के दौरान गिरफ्तार जिसके कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू तथा चोरी की घटनाओ में चुराया हुआ माल बरामद । (कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार)

आज दिनांक 13.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1.विक्रम पुत्र श्यामलाल निवासी आजाद नगर थाना चिकसाना जिला भरतपुर राजस्थान हाल पता सिकरानी गाँव थाना लोनी गाजियाबाद 2.अजय पुत्र सूरनाम निवासी आजाद नगर थाना चिकसाना जिला भरतपुर राजस्थान हाल पता न्यू विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद । 3.वीर सिंह पुत्र रामप्रकाश निवासी न्यू विकास नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से थाना मुरादनगर क्षेत्र व अन्य थाना क्षेत्र में चोरी हुई घटनाओ मे माल बरामद किया गया ।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम बाबरिया गैंग के सदस्य हैं । कुछ दिन पूर्व मुरादनगर क्षेत्र में ग्राम रेवड़ा रेवड़ी में घरों में चोरी की घटना, करीब 15 दिन पूर्व थाना मुरादनगर क्षेत्र के ग्राम सुराना के दो घरों में चोरी की घटना , करीब एक महीने पूर्व थाना मुरादनगर के ग्राम डिडौली में चोरी की घटना ,करीब ढाई महीने पूर्व थाना मुरादनगर के ग्राम ढिंढार में चोरी की घटना , इससे पूर्व भी थाना मुरादनगर के ग्राम सुराना में की गई चोरी की घटना में शामिल थे तथा मसूरी में विक्रम बिंदर अमरीश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी छोटू के द्वारा चोरी के दौरान मारपीट करके भाग गए थे तथा थाना खेकड़ा क्षेत्र में चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया । कुछ दिन पूर्व मसूरी व बागपत में भी में अलग अलग गांव में घरों में चोरी की घटना की थी । तथा इन लोगो द्वारा बताया गया कि हम लोग रैकी करते हुए गाँव में खेतों से लगे हुए घरों में ग्रुप बना कर चोरी करते हैं जिसमें हमारे साथी संजय, मोदी ,बिंदर, अमरीश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी शामिल हैं ।

नाम पता मुठभेड में गिरफ्तार घायल अभियुक्त–

1.विक्रम पुत्र श्यामलाल निवासी आजाद नगर थाना चिकसाना जिला भरतपुर राजस्थान हाल पता सिकरानी गाँव थाना लोनी गाजियाबाद

2.अजय पुत्र सूरनाम निवासी आजाद नगर थाना चिकसाना जिला भरतपुर राजस्थान हाल पता न्यू विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

वीर सिंह पुत्र रामप्रकाश निवासी न्यू विकास नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद

बरामदी का विवरण –

1. अभि0 विक्रम पुत्र श्यामलाल निवासी आजाद नगर थाना चिकसाना जिला भरतपुर राजस्थान हाल पता सिकरानी गाँव थाना लोनी गाजियाबाद जिसके कब्जे से दो जोड़ी पाजेब सफेद धातु व दो जोड़ी बिछुवा सफेद धातु व एक तमंचा 315 बोर एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ

2. अभि0 अजय पुत्र सूरनाम निवासी आजाद नगर थाना चिकसाना जिला भरतपुर राजस्थान हाल पता न्यू विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद जिसके कब्जे से दो अदद मंगलसूत्र पीली धातु जिसमे काले मोतियो की माला भी लगी है व दो अदद अंगूठी पीली धातु व एक जोडी अदद टाप्स पीली धातु व दो जोड़ी पाजेब सफेद धातु व तीन जोड़ी बिछुवा सफेद धातु है बरामदा आभूषण के बारे सख्ती से पूछा गया तो बताया कि साहब यह चोरी मैने दिनांक 03/04.07.25 की रात्रि में गांव रेवड़ा रेवड़ी से की थी व एक अवैध तमंचा 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ।

3. अभि0 -वीर सिंह पुत्र रामप्रकाश निवासी न्यू विकास नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद जिसके कब्ज से 9710/- रू0 व चोरी की गयी पाजेब व 01 जोडी कानो की बालिया तथा एक अदद नाजायज चाकू बरामद।

<u>आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त घटनाओ के संबंध में 05 अभियोग पंजीकृत है, तथा थाना मसूरी कमि0 गा0बाद व थाना खेकडा जिला बागपत में भी 01-01 पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस टीम व स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण द्वारा मुठभेड़ के दौरान 02 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस, 01 अदद पिस्टल 32 बोर व एक जिन्दा कारतूस व लूट से सम्बन्धित 850 रूपये व एक काले रग का बैग व एक लूटा हुआ मोबाइल फोन व 01 मोटरसाइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद।

आज दिनांक 13.07.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा स्वाट टीम ग्रामीण जोन के साथ सयुक्त रूप से घटनाओं के दृष्टिगत थाना क्षेत्र मे चेकिंग की जा रही थी। दौराने चैकिंग कोडिया वाला मन्दिर के पास चैकिंग टीम द्वारा 03 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियो को चैकिंग हेतुक रूकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार बदमाशो द्वारा मोटरसाइकल को और तेज भगाते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी तथा भटजन की तरफ भागने लगे तथा पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में 03 बदमाशों में से 02 बदमाशो के पैर में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गया तथा 01 अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाशो का नाम 1. विकास पुत्र श्रीचन्द नि0 ग्राम शाहजाहपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद व 2. नन्दू पुत्र शीशपाल नि0 उपरोक्त है घायल बदमाशो को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण घायल बदमाशो से पूछताछ की गई तो बदमाशो द्वारा बताया गया कि हमने कल दिनांक 12.07.25 को थाना क्षेत्र भोजपुर के ग्राम तलहैटा स्थित इन्डेन गैस गौदाम में हथियारो के बल पे लूट की घटना कारित

की थी। जिसमे हमने अदद मोबाईल फोन व नगदी लूटी गई थी। घटना करने के बाद भागते समय हमारा एक साथी पकडा गया था जो आपके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. विकास पुत्र श्रीचन्द नि0 ग्राम शाहजाहपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद

2. नन्दू पुत्र शीशपाल नि0 ग्राम शाहजाहपुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद

3. आकाश पुत्र देव सिह नि0 ग्राम शाहजहापुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण

1. 01 तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस व लूट से सम्बन्धित 850 रूपये व एक काले रंग का बैग लूटा हूआ।

2. 01 अदद पिस्टल 32 बोर व एक जिन्दा कारतूस 32 बोर

3. 01 अदद मोटरसाइकल बिना नम्बर प्लेट।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूदध थाना भोजपुर पर एक लूट का मुकदमा दर्ज है व अन्य के सम्बन्ध मे जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम व स्वाट टीम डीसीपी ग्रामीण।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान घरों में चोरी की घटना कारित करने वाले बाबरिया गैंग के 02 अभियुक्तगण घायल अवस्था में एवं 01 अभियुक्त भागने के दौरान (कुल 03 अभियुक्त) गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद तथा 01 अभियुक्त भागने के दौरान गिरफ्तार

आज दिनांक 13.07.2025 की रात्रि में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु काकड़ा पुलिया से हुसैनपुर मार्ग की तरफ़ गस्त करते हुए जा रहे थे तभी मुखबिर की सूचना पर रास्ते में पड़ने वाली पुलिया पर तीन संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए तभी हम पुलिस वालो को देखते हुए , उन लोगों ने अपने को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में दो राउंड फायर किए जिसमें दो अभियुक्तगण के पैर में गोली लगी जिससे अभियुक्तगण घायल होकर नीचे गिर गए। तीसरे

अभियुक्त द्वारा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने का प्रयास किया गया जिसका पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया जिसे पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। पुलिस टीम द्वारा मौके से बाबरिया गैंग के 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त विक्रम पुत्र श्यामलाल निवासी आजाद नगर थाना चिकसाना जिला भरतपुर राजस्थान हाल पता सिकरानी गाँव थाना लोनी गाजियाबाद बताया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व चोरी का सामान व दूसरा घायल अभियुक्त अजय पुत्र सूरनाम निवासी आजाद नगर थाना चिकसाना जिला भरतपुर राजस्थान हाल पता न्यू विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद बताया जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा चोरी का सामान बरामद। तथा तीसरा अभियुक्त जिसने अपना नाम वीर सिंह पुत्र रामप्रकाश निवासी न्यू विकास नगर लोनी गाजियाबाद जिससे एक चाकू नाजायज तथा चोरी का सामान बरामद हुआ। घायल अभियुक्तों को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम बाबरिया गैंग के सदस्य हैं। कुछ दिन पूर्व मुरादनगर क्षेत्र में ग्राम रेवड़ा रेवड़ी में घरों में चोरी की घटना, करीब 15 दिन पूर्व थाना मुरादनगर क्षेत्र के ग्राम सुराना के दो घरों में चोरी की घटना , करीब एक महीने पूर्व थाना मुरादनगर के ग्राम डिडौली में चोरी की घटना ,करीब ढाई महीने पूर्व थाना मुरादनगर के ग्राम ढिंढार में चोरी की घटना , इससे पूर्व भी थाना मुरादनगर के ग्राम सुराना में की गई चोरी की घटना में शामिल थे तथा मसूरी में विक्रम बिंदर अमरीश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी छोटू के द्वारा चोरी के दौरान मारपीट करके भाग गए थे तथा थाना खेकड़ा क्षेत्र में चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया तथा इन लोगो द्वारा बताया गया कि हम लोग रैकी करते हुए गाँव में खेतों से लगे हुए घरों में ग्रुप बना कर चोरी करते हैं जिसमें हमारे साथी संजय, मोदी ,बिंदर, अमरीश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी शामिल हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1.विक्रम पुत्र श्यामलाल निवासी आजाद नगर थाना चिकसाना जिला भरतपुर राजस्थान हाल पता सिकरानी गाँव थाना लोनी गाजियाबाद

2.अजय पुत्र सूरनाम निवासी आजाद नगर थाना चिकसाना जिला भरतपुर राजस्थान हाल पता न्यू विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद।

3.वीर सिंह पुत्र रामप्रकाश निवासी न्यू विकास नगर लोनी थाना लोनी गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 06.07.2025 को थाना मोदीनगर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादिया व वादिया की पुत्रियों के साथ मारपीट, गाली गलौज, धमकी व वादिया की पुत्रियों के साथ छेडखानी के सम्बन्ध में । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 74/115(2)/351(2)/352 बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

आज दिनांक 13.07.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्त मनोज शर्मा पुत्र स्व0 रमेश चन्द निवासी महमूदपुर रोड सीकरी कला सुरमेश प्रधान वाली गली थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 47 वर्ष को जसलोक अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करने का इकबाल किया गया है । अभियुक्त पीडिता का सौतेला पिता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मनोज शर्मा पुत्र स्व0 रमेश चन्द निवासी महमूदपुर रोड सीकरी कला सुरमेश प्रधान वाली गली थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 47 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना मोदीनगर पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

दिनांक 10.07.2025 को वादी श्री अरविन्द कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी नन्दनगरी सीकरी रोड मोदीनगर द्वारा तहरीर दी कि दिनांक 09.07.25 को उसके भाई राहुल कुमार पर विपक्षी अरुण बैसल द्वारा मामूली कहासुनी होने पर तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से फायर करना जिससे वादी के भाई का घायल हो जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर धारा 109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

आज दिनांक 13.07.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्तगण 1. अरुण बैसला पुत्र स्व0 महीपाल निवासी नन्दनगर निकट रामलाल का ठेका सीकरी रोड थाना मोदीनगर उम्र 32 वर्ष 2. हैप्पी पुत्र जोगेन्द्र

निवासी नन्दनगरी जैमनी वाली गली थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को तिबडा बम्बा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है . अभियुक्त अरुण बैसला के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त अरुण बैसला द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि दिनाक 09.07.2025 को मैने अपने साथी हैप्पी पुत्र जोगेन्द्र नि0 नन्दनगरी मोदीनगर गाजियाबद के साथ मिलकर राहुल को जान से मारने के लिए इसी तमन्चे से उसके उपर फायर किया था जब उसको गोली लगी और हमे लगा कि वह मर जायेगा तो मै तथा मेरा दोस्त हैप्पी वहॉ से भाग गये थे। अभियुक्त अरूण उपरोक्त से खोखा कारतूस के बारे मे पूछा तो बताया कि साहब मैने उस दिन के बाद से इस तमन्चे को इस्तेमाल नही किया है यह वही खोखा कारतूस है जब मैने राहुल को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। अभियुक्त हैप्पी ने पूछताछ के दौरान बताया कि दिनांक 09.07.2025 को राहुल ने मेरे दोस्त अरूण के पैर पर गाडी चढा दी थी इसी बात को लेकर अरूण और राहुल की मुह बहस हो गयी थी फिर मैने अरूण से कहा था कि क्यो समय बर्बाद कर रहा है गोली मार दे तो अरूण ने राहुल को जान से मारने की नियत गोली मार दी थी राहुल को गोली लगी और हमे लगा कि वह मर जायेगा तो मै तथा मेरा दोस्त अरूण वहॉ से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- अरुण बैसला पुत्र स्व0 महीपाल निवासी नन्दनगर निकट रामलाल का ठेका सीकरी रोड थाना मोदीनगर उम्र 32 वर्ष
- हैप्पी पुत्र जोगेन्द्र निवासी नन्दनगरी जैमनी वाली गली थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

- अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना मोदीनगर पर एक-एक अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी

- 01 अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस .315 बोर (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध एक देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद।

दिनांक 12.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार पुत्र रामेश्वर निवासी गाव जावली छपरौला मौहल्ला थाना टीला मोड कमि0 गा0बाद उम्र करीब 24 वर्ष को मैट्रो अस्पताल के पास चौकी क्षेत्र सेवाधाम से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध 01 देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं जनता में अपना रौब व भय दिखाने के लिये तमंचा अपने साथ रखता हूँ। मैं कही जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजू उर्फ राजकुमार पुत्र रामेश्वर निवासी गाव जावली छपरौला मौहल्ला थाना टीला मोड कमि0 गा0बाद उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना टीलामोड पर 01 अभियोग पंजीकृत है व थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

बरामदगी का विवरण-

अवैध एक देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 13.07.2025 को थाना खोड़ा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र संतोष कुमार निवासी बालाजी डॉक्टर के पास शिव विहार खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम सलेमपुर पोस्ट कछला थाना सावर जिला कासगंज उम्र करीब 25 वर्ष को कालू सीमेंट तिराहा शिव पार्क के पास से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र संतोष कुमार के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र संतोष कुमार उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि बरामद मोटरसाइकिल को अभियुक्त उपरोक्त ने करीब डेढ़ माह पूर्व मयूर विहार दिल्ली से चोरी किया था। इसी मोटरसाइकिल से अभियुक्त उपरोक्त मोबाइल फोन की स्नेचिंग करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

दीपक कुमार पुत्र संतोष कुमार निवासी बालाजी डॉक्टर के पास शिव विहार खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम सलेमपुर पोस्ट कछला थाना सावर जिला कासगंज उम्र करीब 25 वर्ष।

वरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र संतोष कुमार के विरुद्ध थाना खोडा पर चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम।